अध्याय-III

अनुचित वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन प्रभावी नहीं था, क्योंकि केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत बचत देखी गई थी। योजनाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में विभागीय प्रयासों का अभाव था क्योंकि राजस्व संग्रहण बहुत कम था। नमूना-जांच किए गए विभागों/मंडलों में मार्च 2021 तक उपभोक्ताओं से ₹ 278.20 करोड़ का जल प्रभार प्राप्त नहीं हुआ था। ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक अंशदान के कारण ₹ 69.36 करोड़ की कम वसूली/संग्रहण हुआ।

3.1 वित्त का ओवरव्यू

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) एक निश्चित अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। 2016-17 से 2020-21 के दौरान हरियाणा राज्य द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में जल आपूर्ति पर किया गया व्यय नीचे ***तालिका 3.1*** में दिया गया है।

तालिका 3.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में जल आपूर्ति पर तुलनात्मक व्यय

वर्ष	जल आपूर्ति पर व्यय (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) (₹ करोड़ में)	जल आपूर्ति पर व्यय (शहरी स्थानीय निकाय) (₹ करोड़ में)	जल आपूर्ति पर व्यय (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) (₹ करोड़ में)	जल आपूर्ति पर कुल व्यय (₹ करोड़ में)	हरियाणा राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में जल आपूर्ति पर व्यय
2016-17	675.00	50.48	188.16	913.64	5,61,424	0.16
2017-18	777.77	26.20	255.09	1,059.06	6,44,963	0.16
2018-19	1,040.69	101.74	213.55	1,355.98	7,04,957	0.19
2019-20	930.20	229.04	117.86	1,277.10	7,80,612	0.16
2020-21	742.53	273.13	98.47	1,114.13	7,64,872	0.15

उपर्युक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि 2016-17 से 2020-21 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्य पर) की प्रतिशतता के रूप में जल आपूर्ति पर राज्य द्वारा किया गया व्यय 0.15 से 0.19 प्रतिशत के मध्य रहा।

3.2 बजट और व्यय

वर्ष 2016-2021 के दौरान जल आपूर्ति घटक के अंतर्गत वित्त पोषण निम्नानुसार है:

ग्रामीण जल आपूर्ति

विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं से निधियां/बजट प्राप्त हो रहे हैं। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान विभिन्न ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए बजट प्रावधान और व्यय नीचे ***तालिका 3.2 (क)*** में दर्शाया गया है:

तालिका: 3.2 (क) 2016-17 से 2020-21 तक बजट और व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अथवा जल जीवन मिशन	1,524.35	1,026.30	498.05	32.67
2.	नीति आयोग*	2.66	2.66	-	--
3.	ग्रामीण आवर्धन	1,595.00	1,464.34	130.66	8.19
4.	नाबार्ड	965.09	855.65	109.44	11.34
5.	एससीएसपी	73.50	47.27	26.23	35.69
6.	महाग्राम योजना	92.57	81.79	10.78	11.65
7.	महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना[1]	66.00	54.01	11.99	18.17
	कुल	**4,319.17**	**3,532.02**	**787.15**	**18.22**
*** नीति आयोग की सहायता एक बार की सहायता थी।**					

उपर्युक्त से, यह स्पष्ट है कि 2016-21 के दौरान निधियों का कम उपयोग 8.19 से 35.69 प्रतिशत के मध्य रहा।

प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान प्रभावी बजट एवं व्यय का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

योजना का नाम		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अथवा जल जीवन मिशन	बजट (₹ करोड़ में)	383.84	343.14	227.27	280.60	289.50	1,524.35
	व्यय (₹ करोड़ में)	299.23	162.05	176.68	140.31	248.03	1,026.30
	बचत	84.61 (22.04)	181.09 (52.77)	50.59 (22.26)	140.29 (50.00)	41.47 (14.32)	498.05 (32.67)
ग्रामीण आवर्धन	बजट (₹ करोड़ में)	225.00	350.00	398.00	397.00	225.00	1,595.00
	व्यय (₹ करोड़ में)	167.55	313.87	390.22	368.71	223.99	1,464.34
	बचत	57.45 (25.53)	36.13 (10.32)	7.78 (1.95)	28.29 (7.13)	1.01 (0.45)	130.66 (8.19)
नाबार्ड	बजट (₹ करोड़ में)	50.00	130.00	315.09	300.00	170.00	965.09
	व्यय (₹ करोड़ में)	44.85	112.87	289.43	258.67	149.83	855.65
	बचत	5.15 (10.30)	17.13 (13.18)	25.66 (8.14)	41.33 (13.78)	20.17 (11.86)	109.44 (11.34)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बचत की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2016-17 से 2020-2021 की अवधि के दौरान सभी तीन प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों में 0.45 और 52.77 प्रतिशत के मध्य लगातार बचत हुई थी।

शहरी जल आपूर्ति

विभिन्न शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के लिए बजट आबंटन/अनुदान और व्यय ***तालिका 3.2 (ख)*** में दर्शाया गया है:

तालिका: 3.2 (ख) 2016-17 से 2020-21 तक बजट और व्यय के विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	आबंटित बजट	किया गया व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1	शहरी आवर्धन	844.01	759.09	84.92	10.06
2	शहरी एनसीआर	114.50	87.13	27.37	23.90
3	अमृत	1,462.81	420.89	1041.92	71.23
4	शहरी स्थानीय निकाय में जल आपूर्ति के लिए निर्धारित निधि	545.80	259.70	286.10	52.42
5	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया व्यय	1,321.86	873.13	448.73	33.95

[1] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना एक निक्षेप कार्य था और विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा अक्तूबर 2015 से मार्च 2020 तक ₹ 66 करोड़ की राशि जमा कराई गई थी। जुलाई 2022 तक ₹ 54.01 करोड़ की राशि खर्च की गई थी।

2016-21 के दौरान बचत की प्रतिशतता 10 से 71 प्रतिशत के मध्य रही।

शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के बजट एवं व्यय का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

योजना का नाम		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
शहरी आवर्धन	बजट (₹ करोड़ में)	305.38	204.00	122.63	140.00	72.00	844.01
	व्यय (₹ करोड़ में)	292.63	166.73	115.35	114.43	69.95	759.09
	बचत	12.75 (4.18)	37.27 (18.27)	7.28 (5.94)	25.57 (18.26)	2.05 (2.85)	84.92 (10.06)
शहरी एनसीआर	बजट (₹ करोड़ में)	55.00	25.00	15.00	10.00	9.50	114.50
	व्यय (₹ करोड़ में)	41.34	15.46	13.26	8.37	8.70	87.13
	बचत	13.66 (24.84)	9.54 (38.16)	1.74 (11.60)	1.63 (16.30)	0.80 (8.42)	27.37 (23.90)
अन्य वित्तपोषण (शहरी स्थानीय निकाय)	बजट (₹ करोड़ में)	90.25	36.04	67.20	86.74	265.58	545.81
	व्यय (₹ करोड़ में)	50.48	20.03	51.25	68.26	69.68	259.70
	बचत	39.77 (44.07)	16.01 (44.42)	15.95 (23.74)	18.48 (21.31)	195.90 (73.76)	286.11 (52.42)
अन्य वित्तपोषण (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	बजट (₹ करोड़ में)	373.43	285.38	306.86	184.57	171.60	1,321.84
	व्यय (₹ करोड़ में)	188.16	255.08	213.55	117.86	98.47	873.12
	बचत	185.27 (49.61)	30.30 (10.62)	93.31 (30.41)	66.71 (36.14)	73.13 (42.62)	448.72 (33.95)
अमृत	बजट (₹ करोड़ में)	136.75	130.25	75.70	500.52	619.59	1,462.81
	व्यय (₹ करोड़ में)	0	6.17	50.49	160.78	203.45	420.89
	बचत	136.75 (100)	124.08 (95.26)	25.21 (33.30)	339.74 (67.88)	416.14 (67.16)	1,041.92 (71.23)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बचत की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2016-17 से 2020-2021 की अवधि के दौरान सभी शहरी जल आपूर्ति योजनाओं में 2.85 और 100 प्रतिशत के मध्य लगातार बचत हुई थी।

3.3 योजनाओं को आत्मनिर्भर बनाने में विभागीय प्रयासों का अभाव

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के पैरा 2.3 के अनुसार, 14वें वित्त आयोग (2015-2020) ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता को राष्ट्रीय महत्व की लोक सेवाओं के रूप में मान्यता दी और स्थायी पेयजल आपूर्ति प्रणालियों को 'औपचारिक प्रबंधन मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाली प्रणालियों, जिनके पास 100 प्रतिशत घरेलू मीटर स्थापित हैं तथा जिनकी पानी की दरों और सब्सिडी से निवल राजस्व कम से कम प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है' के रूप में परिभाषित किया गया है। इसने दोनों ग्रामीण और शहरी घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों में व्यक्तिगत कनेक्शनों की 100 प्रतिशत मीटरिंग की भी सिफारिश की है और व्यक्तिगत कनेक्शन केवल तभी प्रदान किए जाने चाहिए जब चालू पानी के मीटर स्थापित हों। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई:

1. विभाग ने मीटर कनेक्शन लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया बल्कि विभाग का ध्यान मीटर कनेक्शन के स्थान पर घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराने पर है।

2. लेखापरीक्षा ने ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं से उत्पन्न प्राप्तियों की तुलना में संचालन एवं रखरखाव व्यय के डेटा (विभाग की वेबसाइट से) का विश्लेषण किया और राजस्व संग्रह, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल रखरखाव व्यय का केवल एक प्रतिशत

और शहरी क्षेत्र के मामले में, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए रखरखाव व्यय का कुल 15 प्रतिशत था, जैसा कि ***तालिका 3.3*** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.3: प्राप्तियों की तुलना में संचालन एवं रखरखाव व्यय (₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन एवं रखरखाव व्यय	ग्रामीण जल आपूर्ति से प्राप्तियां	संचालन एवं रखरखाव व्यय को प्राप्तियों का प्रतिशत	शहरी क्षेत्रों में संचालन एवं रखरखाव व्यय	शहरी जल आपूर्ति से प्राप्तियां	संचालन एवं रखरखाव व्यय को प्राप्तियों का प्रतिशत
2016-17	566.90	3.13	0.55	270.78	51.97	19.19
2017-18	558.93	11.37	2.03	265.38	48.31	18.20
2018-19	616.76	8.07	1.31	298.15	37.03	12.42
2019-20	605.03	4.57	0.76	279.95	38.54	13.77
2020-21	888.51	3.12	0.35	378.58	42.98	11.35
कुल	**3,236.14**	**30.25**	**0.93**	**1,492.84**	**218.83**	**14.66**

यह इंगित करता है कि उत्पन्न राजस्व, जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिससे योजनाओं का संचालन वित्तीय रूप से अस्थिर हो गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रभार सरकारी अधिसूचना के अनुसार फ्लैट रेट पर लिए गए थे। परिणामस्वरूप संचालन एवं रखरखाव लागत को पूरा करने के लिए राजस्व जनरेशन/संग्रह में अंतर था। आगे, यह बताया गया था कि बकाया जल प्रभारों के संग्रह के लिए पंचायत और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन था, जो संचालन एवं रखरखाव लागत को पूरा करने के लिए राजस्व संग्रह में सुधार करेगा।

जल प्रभार और बकाया

3.4 ₹ 278.20 करोड़ की राशि के जल प्रभारों की अवसूली

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

3.4.1 हरियाणा सरकार ने सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए ₹ 40 प्रति माह और अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के लाभार्थियों के लिए ₹ 20 प्रति माह के रूप में उन गांवों, जो किसी भी नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, में जल प्रभारों के टैरिफ की दरों को अधिसूचित किया (अप्रैल 2017)। अभिलेखों[2] की संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 2016 से मार्च 2021 के दौरान उपभोक्ताओं से ₹ 263.64 करोड़ (ग्रामीण: ₹ 128.17 करोड़; शहरी: ₹ 135.47 करोड़) की राशि का जल उपयोगकर्ता प्रभार वसूल किया जाना था, जबकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के चयनित मंडलों के संबंध में जल प्रभारों के बकाया के रूप में ₹ 187.34 करोड़ (ग्रामीण: ₹ 119.29 करोड़; शहरी: ₹ 68.05 करोड़) ***(परिशिष्ट 7)*** की शेष राशि छोड़ते हुए, मंडल कार्यालयों द्वारा इस अवधि के दौरान केवल ₹ 76.30 करोड़

[2] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के चयनित मंडल।

(28.94 प्रतिशत) की राशि एकत्र की गई थी। विवरण ***चार्ट 3.1 (क) एवं (ख)*** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 3.1 (क): ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रभार का संग्रह (2016-2021)

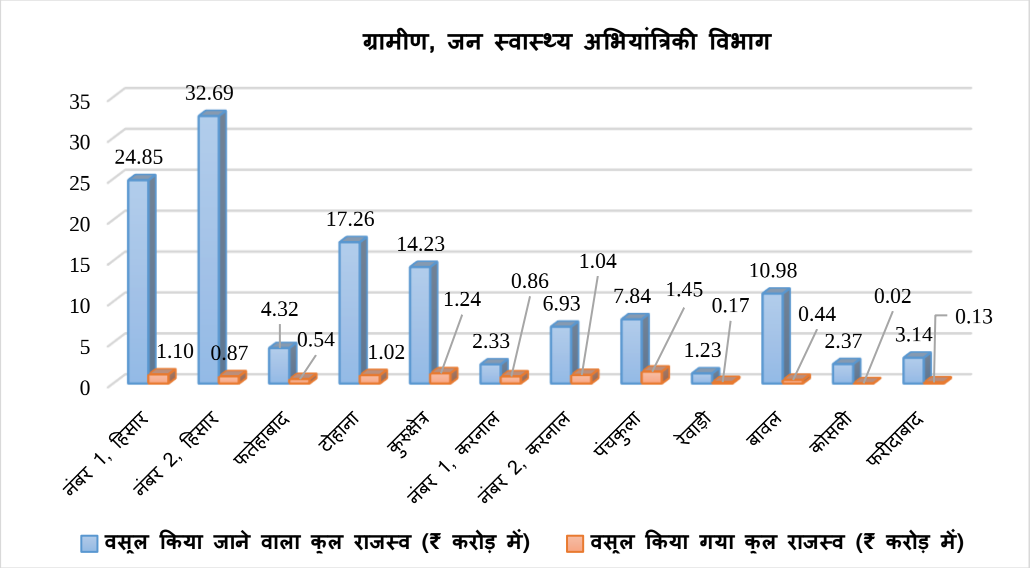

चार्ट 3.1 (ख): शहरी क्षेत्रों में जल प्रभार का संग्रह (2016-2021)

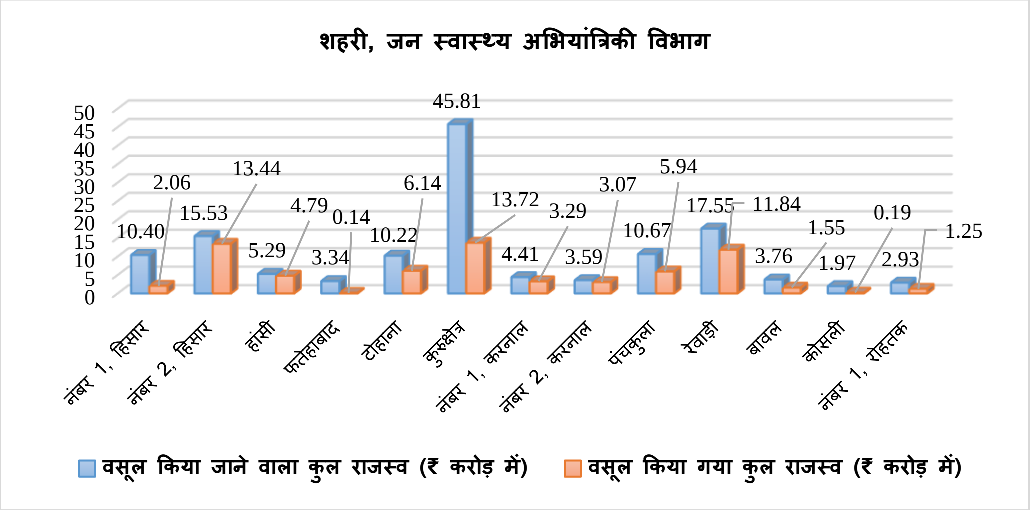

यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 2016-21 के दौरान केवल सात प्रतिशत जल प्रभार एकत्र/वसूल किए गए थे, राजस्व संग्रहण के प्रति, विभाग द्वारा प्रयासों के अभाव को दर्शाता है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

3.4.2 हुडा (अब इसका नाम बदलकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया है) जल विनियम 2001 के नियम 13 (iii) में जोर दिया गया है कि निर्धारित तिथि तक जल प्रभारों का भुगतान करने में विफल रहने वाले उपभोक्ता को देय तिथि से 15 दिनों के भीतर देय जल प्रभार की राशि के 10 प्रतिशत की दर से जुर्माना देना होगा, ऐसा न करने पर सात दिन का नोटिस देने के बाद उसका पानी का कनेक्शन काट दिया जायेगा।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चयनित मंडलों में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि 31 मार्च 2021 तक ₹ 19.18 करोड़ की राशि के जल प्रभार बकाया थे, जो चयनित जिलों में उपभोक्ताओं से वसूले जाने थे लेकिन संबंधित कार्यालयों द्वारा नियमानुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चयनित मंडलों में बकाया जल प्रभारों का विवरण ***परिशिष्ट 7*** में दिया गया है।

शहरी स्थानीय निकाय

3.4.3 शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा सरकार ने अगस्त 2018 में संशोधित जल उपयोगकर्ता प्रभारों को अधिसूचित किया। चयनित जिलों में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि दो नगर निगमों यथा फरीदाबाद[3] और करनाल में ₹ 71.68 करोड़ की राशि के जल उपयोगकर्ता प्रभार 31 मार्च 2021 तक बकाया थे ***(परिशिष्ट 7)***। जल उपयोगकर्ता प्रभारों की वसूली की निगरानी के लिए शहरी स्थानीय निकाय में कोई तंत्र नहीं था।

यह आकलन किया जाता है कि राजस्व का निर्धारण न करना प्राधिकरणों अर्थात जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्थानीय निकाय और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से चूक है। यह उच्च अधिकारियों जैसे प्रमुख अभियंता/निदेशक/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता आदि की ओर से जवाबदेही तंत्र की अनुपस्थिति या कमी को भी दर्शाता है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), विभागों ने मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

3.5 सामुदायिक अंशदान का संग्रह

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के पैरा 6.1.2 में निर्धारित किया गया है कि ग्राम पंचायतों और/अथवा इनकी उप-समिति, अर्थात ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह आदि द्वारा गांव में पाइप जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे और संबंधित स्रोत विकास को कार्यान्वित किया जाएगा; समुदाय, पूंजीगत लागत का 10 प्रतिशत नकद और/या वस्तु और/या श्रम के रूप में योगदान करेंगे और जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) द्वारा तय किए गए अनुसार एजेंसी/विक्रेता को भुगतान किया जाएगा।

अभिलेखों[4] की संवीक्षा के दौरान, यह पता चला कि 6,129 ग्राम पंचायतों ***(परिशिष्ट 8)*** को 2016-21 के दौरान ₹ 69.76 करोड़ की सामुदायिक अंशदान राशि जमा करना अपेक्षित था, लेकिन अगस्त 2022 तक विभाग के पास केवल ₹ 0.39 करोड़ जमा किए गए थे। इस प्रकार ₹ 69.36 करोड़ की कम वसूली/संग्रह हुआ था।

---

[3] फरीदाबाद, मंडल 1 2016-21, मंडल नंबर 3 एवं 5 2019-21, मंडल नंबर 2 एवं 4 ने संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की।

[4] प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया।

3.6 राज्य का अंश विलंब से जारी करना

2017-18 में, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत निधियों की मांग (₹ 26.06 करोड़ का केंद्रीय अंश और राज्य के अंश के रूप में ₹ 19.74 करोड़) वित्त विभाग, हरियाणा के पास भेजी गई थी (अप्रैल 2017)। केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 26.06 करोड़ का लैटर ऑफ़ क्रेडिट (एलओसी) वित्त विभाग द्वारा जारी (19 मई 2017) किया गया था लेकिन राज्य का संबंधित अंश जारी नहीं किया गया था। ₹ 19.74 करोड़ का उक्त राज्य का अंश वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा अक्तूबर 2017 में जारी किया गया था। निर्देशों के अनुसार केंद्रीय अंश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राज्य का अंश कार्यान्वयन एजेंसी को जारी किया जाना था। इस प्रकार, विभागों के मध्य समन्वय का अभाव था क्योंकि राज्य का अंश जारी करने में पांच माह से अधिक का विलंब था।

3.7 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन में केंद्रीय और राज्य निधियों को जारी करना और उनका उपयोग करना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा द्वारा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) को वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के लिए प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अनुसार, 2016-21 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु केंद्र और राज्यों के हिस्से की निधियां जारी करने और उनके उपयोग के विवरण ***तालिका 3.4*** में दिए गए हैं:

तालिका 3.4: 2016-2021 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधि एवं व्यय (₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	बचत	उपलब्ध निधि के विरुद्ध बचत की प्रतिशतता
2016-17	383.84	299.23	84.61	22.04
2017-18	343.14	162.05	181.09	52.77
2018-19	227.27	176.68	50.59	22.26
2019-20	280.60	140.31	140.29	50.00
2020-21	289.50	248.03	41.47	14.32
कुल	**1,524.35**	**1,026.30**	**498.05**	**32.67**

जैसा कि तालिका से देखा गया है, 2016-17 से 2020-21 के दौरान बचत की प्रतिशतता 14.32 प्रतिशत और 52.77 प्रतिशत के मध्य रही। मार्च 2021 तक ₹ 498.05 करोड़ की कुल निधियां अप्रयुक्त रही।

2016-21 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की घटक-वार स्थिति और किए गए व्यय के विवरण नीचे ***तालिका 3.5, 3.6 और 3.7*** में दिए गए हैं:

कवरेज: इस घटक के अंतर्गत निधियों का उपयोग शामिल न की गई, आंशिक रूप से शामिल की गई और पिछड़ी हुई बस्तियों (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में) को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति प्रदान करने और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल (ग्रामीण परिवारों को प्रदान किए गए एफएचटीसी के संदर्भ में) के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए किया जाना था।

संचालन एवं रख-रखाव: इस घटक के अंतर्गत निधियों का उपयोग पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के संचालन, मरम्मत और प्रतिस्थापन लागतों पर व्यय के लिए किया जाना था।

पानी की गुणवत्ता: इस घटक के अंतर्गत निधियों का उपयोग पानी की गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जाना था।

संधारणीयता: इस घटक के अंतर्गत निधियों का उपयोग, स्रोतों और प्रणालियों की संधारणीयता के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाना था।

तालिका 3.5: 2016-2021 के दौरान कवरेज, जल गुणवत्ता, संधारणीयता, संचालन एवं रख-रखाव घटकों पर किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रतिशतता
2016-17	373.76	293.06	78.41
2017-18	333.09	155.95	46.82
2018-19	209.52	168.84	80.58
2019-20	260.26	131.46	50.51
2020-21	269.34	234.09	86.91

समर्थक गतिविधियां

समर्थक गतिविधियों में शामिल हैं (i) जल एवं स्वच्छता समर्थक संगठन और जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सलाहकारों की नियुक्ति, (ii) बीआरसी[5] की स्थापना और संचालन, (iii) जागरूकता सृजन और प्रशिक्षण गतिविधियों का समर्थन, (iv) जिला और उप-मंडल स्तर पर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समर्थन देना (v) राज्य के लिए प्रासंगिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां आदि।

[5] ब्लॉक संसाधन समन्वयकों

तालिका 3.6: 2016-2021 के दौरान समर्थक गतिविधियों के घटक पर किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रतिशतता
2016-17	5.99	3.79	63.27
2017-18	6.34	3.86	60.87
2018-19	9.11	4.97	54.56
2019-20	12.03	5.20	43.23
2020-21	11.78	6.72	57.05

जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस)

इस घटक के अंतर्गत निधियों का उपयोग क्षेत्र स्तर पर बस्तियों में पानी की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग और निगरानी के लिए तथा राज्य, जिला और उप-मंडल स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उन्नयन के लिए किया जाना है।

तालिका 3.7: 2016-2021 के दौरान जल गुणवत्ता, मॉनीटरिंग और निगरानी घटक पर किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रतिशतता
2016-17	4.09	2.38	58.19
2017-18	3.71	2.24	60.38
2018-19	8.64	2.87	33.22
2019-20	8.31	3.65	43.92
2020-21	8.38	7.22	86.16

यह स्पष्ट है कि मुख्य घटकों अर्थात कवरेज, पानी की गुणवत्ता, संधारणीयता और संचालन एवं रखरखाव के अंतर्गत निधियां 13.09 से 53.18 प्रतिशत की सीमा तक अप्रयुक्त रही। समर्थक गतिविधियों के अंतर्गत निधियों का कम उपयोग 36.73 से 56.77 प्रतिशत के मध्य था। जल गुणवत्ता, मॉनीटरिंग और निगरानी से संबंधित गतिविधियों में कम उपयोग 13.84 से 66.78 प्रतिशत के मध्य था।

3.8 समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा न करने के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त देयता

13वें वित्त आयोग, शहरी[6] (शिवालिक और दक्षिणी हरियाणा) के अंतर्गत ₹ 79.58 करोड़ की अनुमानित लागत पर कार्यान्वयन के लिए हिसार शहर में जल आपूर्ति योजना के विस्तार का प्रस्ताव किया गया था (2013)। तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों की चूक से बचने के लिए परियोजना को 31 मार्च 2016 तक पूरा करना निर्धारित था। कार्य[7] 18 माह की अवधि में पूर्ण करने हेतु आबंटित (अक्तूबर 2013) किया गया था। लेकिन स्थल विवाद और विभाग की लापरवाही के कारण कार्य समय पर शुरू नहीं हुआ और निर्धारित समय में पूरा नहीं हो

6 योजना शहरी क्षेत्रों के लिए है और शीर्ष पी-01-38-4215-01-101-99-97 बनाकर तेरहवें वित्त आयोग से केंद्रीय सहायता के अंतर्गत वित्त पोषित है।

7 वृद्धि जल आपूर्ति विस्तार योजना हिसार शहर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (पीएलसी) की डिजाइनिंग, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग। आरसीसी, एनपी3 पाइप इनलेट चैनल का निर्माण एवं अन्य संबद्ध कार्य और तीन महीने के ट्रायल रन के बाद पांच वर्ष के लिए संचालन एवं रखरखाव सहित अन्य सभी आकस्मिक कार्यों को पूरा करना।

सका। इस बीच, तेरहवें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केंद्रीय सहायता 31 मार्च 2016 को समाप्त हो गई, तब तक विभाग तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से केवल ₹ 48.54 करोड़ का उपयोग कर सका।

परियोजना को पूरा करने के लिए, विभाग ने ₹ 31.04 करोड़ की राशि का पूरक प्राक्कलन तैयार किया (जुलाई 2016 में अनुमोदित) और राज्य योजना (शहरी आवर्धन योजना) से ₹ 31.04 करोड़ की राशि खर्च की। यदि कार्य समय पर पूरा हो जाता तो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ से बचा जा सकता था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के जवाब में, विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2021) कि भूमि के कब्जे में विलंब और डिजाइन एवं ड्राइंग के देरी से अनुमोदन के कारण तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग नहीं किया जा सका। हालांकि, तथ्य यह है कि विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई करने से देयता से बचा जा सकता था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि मामले की जांच के बाद विस्तृत उत्तर लेखापरीक्षा को दिया जाएगा। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2022)।

निष्कर्ष

वित्तीय प्रबंधन प्रभावी नहीं था, क्योंकि केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत सतत बचत देखी गई थी। योजनाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में विभागीय प्रयास का अभाव था क्योंकि राजस्व संग्रहण बहुत कम था। नमूना-जांच किए गए विभागों/मंडलों में मार्च 2021 तक उपभोक्ताओं से ₹ 278.20 करोड़ का जल प्रभार प्राप्त नहीं हुआ था। ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक अंशदान के कारण ₹ 69.36 करोड़ की कम वसूली/संग्रहण हुआ।

सिफारिश

3. योजनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग/संबंधित संस्थाओं को बकाया जल प्रभारों की वसूली, सामुदायिक अंशदान की वसूली के प्रयास करने चाहिए।